2235447 P SECY S W P PAGE 01

संख्या– 1963 /26–2–2010

प्रेषक,

भूपेन्द्र सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग–2 लखनऊःदिनांक 27 जुलाई, 2010

विषयः–समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित तथा निजी प्रबन्धाधिकरण द्वारा संचालित विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के नियुक्ति के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासन के संज्ञान में आया है, कि समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित निजी प्रबन्धाधिकरण द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों के चयन के सम्बन्ध में प्रायः प्रबन्धकों द्वारा जनपदों के साधारण स्तर के तथा नियमित रूप से प्रकाशित न होने वाले समाचार–पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन करके न केवल मनचाहे व्यक्तियों का चयन कर लिया जाता है, अपितु उन्हें तत्काल कार्य पर लगाकर शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव बाद में भेजा जाता है। इस गलत प्रकिया के माध्यम से शासकीय धन के दुरूपयोग के अनेक प्रकरण शासन के संज्ञान में आये हैं। अतः इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है, कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में निम्न प्रकिया अपनायी जायः–

1. सहायक अध्यापकों की तैनाती हेतु प्रबन्धकों द्वारा क्षेत्र/जनपद के दो सर्वाधिक प्रतिष्ठित एव प्रसारित समाचार–पत्रों में विज्ञापन दिया जाय तथा जिला सूचना अधिकारी से समाचार–पत्रों के सम्बन्ध में इस आशय का प्रमाण–पत्र भी लिया जाय।

2. शासन की अनुमति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय प्रकाशित समाचार–पत्रों की मूल प्रति विज्ञापन अंश को चिन्हित करते हुए प्रस्तुत किया जाय तथा छायाप्रति स्वीकार नही होगी।

3. बिना शासन के अनुमोदन के किसी भी चयनित सहायक अध्यापक को कार्यभार ग्रहण न कराया जाय तथा यदि ऐसा किया जाता है, तो उसके वेतन आदि के लिए सम्बन्धित प्रबन्धक

–2–

उत्तरदायी होंगे तथा उस विद्यालय को आवर्तक अनुदान से अपात्र घोषित करने की कार्यवाही की जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भूपेन्द्र सिंह)
सचिव

संख्या- (1)/26-2-2010-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2 समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(भवनाथ)
विशेष सचिव

सी/1267

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

संख्या/ /सक/शिक्षा/2010 दिनांक 27 जुलाई, 2010

प्रतिलिपि-

1-समस्त मण्डलीय संयुक्त/उप निदेशक, समाज कल्याण को इस निर्देश के साथ कि अपने मण्डल के जनपदों के भ्रमण के समय इस शासनादेश के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा प्रत्येक दशा में करें और यथावश्यक रिपोर्ट निदेशालय/शासन को करें।

2-समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी इस शासनादेश की फोटो प्रतियां अपने जनपद के समस्त अनुदानित/संचालित प्राथमिक विद्यालयों के प्रबन्धकों को रिसीव कराना सुनिश्चित करें तथा प्राप्ति रसीद अपने कार्यालय में सुरक्षित कर लें। यह भी सुनिश्चित करें कि इस शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार ही कार्यवाही की जाये।

3-सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण विभाग को उनके पत्र संख्या 1963(1)/26-2-2010 दिनांक 27-7-2010 के सन्दर्भ में सूचनार्थ ।

27.7.10

(राम बहादुर)
निदेशक ।